भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 308
दिनांक 21 जुलाई, 2026 / 30 आषाढ़, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

प्राथमिकी दर्ज होने की प्रक्रिया की निगरानी करने संबंधी तंत्र

†308. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2024-25 और 2025-26 के दौरान, एससी/एसटी के विरुद्ध अत्याचार के मामलों (जैसे प्राथमिकी दर्ज करना, पीड़ित की सुरक्षा और गवाहों की सहायता) को संवेदनशीलता से संभालने के लिए 'ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट' से विशेष प्रशिक्षण पाने वाले आंध्र प्रदेश के पुलिस अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार के पास उक्त अवधि के दौरान एससी/एसटी अत्याचार के मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने, चार्ज-शीट दाखिल करने और विचारण की प्रगति पर नज़र रखने के लिए आंध्र प्रदेश सहित राज्यवार कोई तात्कालिक निगरानी प्रणाली है; और

(ग) क्या केंद्र सरकार, एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विचारण में विलंब और दंड की कम दर को लेकर लगातार बनी चिंताओं को देखते हुए, आंध्र प्रदेश में विशेष केंद्रीय निगरानी दल तैनात करने या विशेष सलाह जारी करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ग): 'पुलिस' तथा 'लोक व्यवस्था' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार राज्य सूची के विषय हैं। अतः अपराधों की रोकथाम, उनका पता लगाने, अन्वेषण तथा अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है, जिसका निर्वहन उनकी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (Law Enforcement Agencies-LEAs) द्वारा किया जाता है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 308, दिनांक 21.07.2026

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) ने 2024-25 से 2026-27 के दौरान अलग-अलग विषयों पर कुल 118 ट्रेनिंग कोर्स आयोजित किए, जिनमें आंध्र प्रदेश के 1120 पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई।

प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के पंजीकरण, पीड़ितों के संरक्षण, साक्षियों को सहायता उपलब्ध कराने, आरोप-पत्र दाखिल करने तथा मामलों के विचारण से संबंधित विषयों पर गृह मंत्रालय द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

(i) क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (CCTNS) का उपयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के पंजीकरण, आरोप-पत्र दाखिल करने, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार से संबंधित मामलों सहित विभिन्न मामलों के विचारण की प्रगति की निगरानी एवं ट्रैकिंग के लिए किया जाता है। यह प्रणाली आंध्र प्रदेश में भी कार्यान्वित है। सीसीटीएनएस तथा राज्य पुलिस प्रणालियों के अंतर्गत उपलब्ध डिजिटल प्लेटफॉर्म संबंधित राज्यों, जिनमें आंध्र प्रदेश भी शामिल है, द्वारा एफआईआर के पंजीकरण, आरोप-पत्र दाखिल करने तथा मामलों के विचारण की प्रगति की निगरानी एवं ट्रैकिंग को सुगम बनाते हैं।

(ii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 173 के अंतर्गत ई-एफआईआर तथा जीरो एफआईआर के प्रावधानों से मामलों का समयबद्ध एवं सुलभ पंजीकरण सुनिश्चित हुआ है।

(iii) गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में परामर्श (Advisories) जारी किए जाते हैं। इनमें मामलों के शीघ्र अन्वेषण एवं अभियोजन, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मामलों के विचारण हेतु अनन्य विशेष न्यायालयों/विशेष न्यायालयों की स्थापना एवं प्रभावी संचालन, विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पीड़ितों को समयबद्ध राहत एवं पुनर्वास सुनिश्चित करने संबंधी निर्देश शामिल हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को राज्य एवं जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों की नियमित बैठकें आयोजित कर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने तथा अन्वेषण एवं विचारण में लंबित मामलों से संबंधित विषयों का निराकरण सुनिश्चित करने की भी सलाह दी जाती है। इस संबंध में जारी सभी परामर्श, गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।
